रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2038] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 1, 2014/आश्विन 9, 1936
No. 2038] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2014/ASVINA 9, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2014

का.आ. 2581(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3316(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii) में तारीख 31 अक्तूबर, 2013 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,

(क) जिला ''महबूबनगर'' तहसील ''बंगुरू'' से संबंधित अंतिम कॉलम में गांव का नाम प्रविष्टि (6) कोनेटीपुरम् के पश्चात् (7) तिप्परेड्डिपल्लि, (8) कोनेटिपुरम्, की प्रविष्टि अंतः स्थापित की जावेगी।

[फा. सं. आर डब्लू/एन एच–37014/15/2013/एन एच डीपी.–IVए]

वी, कृष्णास्वामी, निदेशक

पाद टिप्पणी–मूल अधिसूचना का. आ. 3316(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 2013 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii), तारीख 31 अक्तूबर, 2013 में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2014

S.O. 2581(E).–In exercise of power conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following **amendments** in the notification of the Govt. of India in the Ministry of Road Transport and Highways No. S.O. 3316(E) dated the 31st October, 2013 published in the Gazette of India Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-Section (ii), dated 31st October, 2013, namely :-

In the Schedule to the said notification,

(a) against column No. 4 relating to District “Mahboobnagar” Taluk " Vangur" in the last column name of village, after entry “(6) Konetipuram” the entries shall be inserted namely “(7) Thippareddypalli”, "(8) Konetipuram".

[F. No. RW/NH-37014/15/2013-NHDP-IVA]

V. KRISHNASWAMY, Director

Foot Note–(i) The principal notification was published *vide* S.O. 3316(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 31st October, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.